राष्ट्रपति से संदेश

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे राष्ट्रपति से निम्न सन्देश मिला है:—

> "१८ मार्च, १९५७ को समवेत हुए दोनों सदनों को मैंने जो अभिभाषण दिया था उसके लिए लोक-सभा द्वारा पारित धन्यवाद का प्रस्ताव मुझे मिल गया है और उस पर मुझे संतोष है।"

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अध्यक्ष महोदय, म प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये।"

अभी कुछ दिन हुए जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब माननीय सदस्यों ने विदेशी मामलों के बारे में भी कई बार जिक्र किया। मैंने भी अपने भाषण में बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया था। इस प्रकार, मैं समझता हूं कुछ हद तक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों पर इस सभा में विवाद हो चुका है।

मेरे विचार से लगभग चार माह पूर्व हमने इस सभा में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों पर विवाद किया था। शायद गत नवम्बर में हमने मिस्र पर हुए सैनिक आक्रमण के द्वारा उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति पर विवाद किया था। केन्द्रीय यूरोप में हंगरी में भी गंभीर स्थिति हो गई थी। उस अवसर पर नवम्बर में, मैंने इन्हीं दो मामलों पर आपके सामने कुछ कहा था। इन चार महीनों में बहुत सी बातें हुई हैं तथा कुछ मामलों में पर्याप्त प्रगति हुई है परन्तु मेरा विचार है कि अभी सामान्य वातावरण आशा जनक नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी कुछ उलझन के मामले हैं।

जहां तक स्वेज नहर तथा उसके आस पास की स्थिति का सम्बन्ध है, हम एक ओर मिस्र सरकार से परामर्श करते हैं, तथा दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में उन व्यक्तियों से जो इस समस्या से अत्यधिक सम्बन्धित हैं भी विचार विनिमय करते रहे हैं। हमने शांतिपूर्ण समझौते के सभी संभावित उपाय किये हैं। हमने ऐसा समझौता कराने का प्रयत्न किया है जिससे मिस्र राष्ट्र के अधिकारों अथवा सभी राष्ट्रों की सर्वप्रभुत्व संपन्नता की ही सुरक्षा नहीं होगी अपितु जिससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की भी कोई हानि नहीं होगी। मैं मिस्र के सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि मेरे स्वेज नहर के बारे में संतोषजनक अब हल निकल जाने के आसार हैं। संभवतः कुछ दिनों में एक सप्ताह अथवा दो सप्ताहों में, नहर यातायात के लिए खुल जायेगी। सभा को याद होगा कि गत पांच छः महीनों में स्वेज नहर के बारे में झगड़ा हुआ तथा इसीलिए यदि यह निबटारा हो जाये कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और मिस्र की सर्व प्रभुत्व सम्पन्नता के अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नहर का किस प्रकार प्रयोग किया जाय तो इससे बड़ा लाभ होगा।

मेरा यह कहना नहीं है कि इससे मध्यपूर्व की समस्या सुलझ जायेगी। परन्तु निश्चित रूप से उससे तनाव ज़रूर कम हो जायेगा। जैसा कि सभा जानती है गाजा पट्टी, अकाबा की खाड़ी तथा सामान्यतः सारे मध्य पूर्व की स्थिति कठिन ही है। परन्तु मेरे विचार से यह समस्यायें एक साथ ही नहीं सुलझ सकती हैं। धीरे धीरे एक एक को सुलझाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

संभवतः आज विश्व की स्थिति पर दृष्टि डालने से मध्य पूर्व बड़ा कठिन तथा विस्फोटक क्षेत्र कहा जा सकता है । स्वेज नहर के मामले तथा अन्य मामलों के संभावित हल की ओर प्रगति करने पर भी, तथा आक्रमक सेनाओं के मिस्री क्षेत्र से हट जाने पर भी, यह क्षेत्र और मध्यपूर्व अभी भी बड़ा कठिन क्षेत्र है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि यह क्षेत्र पहले से ऐसा था परन्तु यह क्षेत्र मध्यपूर्व में उठाये गये झगड़ों के कारण ऐसा हो गया है ।

दुर्भाग्यवश, विश्व में यह झगड़े अंशतः कुछ स्थानीय कठिनाइयों के कारण तथा अंशतः कुछ दूर की ऐसी कठिनाइयों के कारण जिनका विश्व के एक भाग विशेष पर असर पड़ता है, उठते हैं। सभा जानती है कि इन सैनिक सन्धियों की ओर हमारा क्या रुख है क्योंकि यह कही तो प्रतिरक्षात्मक जाती है परन्तु होती आक्रमक है । ज्यूंही कोई देश अन्य देशों से प्रतिरक्षात्मक समझौता करता है तो उसका परिणाम कुछ दूसरा ही होता है तथा हमको कहना पड़ता है कि ये सन्धियां शान्ति बनाये रखने में बाधक हैं।

कोई भी इस बात को देख सकता है कि गत कुछ महीनों की मध्य पूर्व की अथवा पश्चिमी एशिया की घटनायें, इन्हीं सन्धि के परिणाम हैं । यदि मैं हंगरी के बारे में कुछ कहूं तो यही कहूंगा कि सन्धियों ही के कारण उसमें गड़बड़ी हुई । इन घटनाओं से यह सिद्ध हो जाता है कि यह सैनिक सन्धियां जो राष्ट्रों का एक दल संभवतः दूसरे दल के विरुद्ध करता है शांति तथा सुरक्षा के लिए घातक हैं ।

दुर्भाग्यवश फिर भी ये सन्धियां हैं तथा और हो रही हैं । कुछ ही दिन पूर्व हमने सीटो सन्धि के तथा बगदाद सन्धि के बारे में सुना । इन दोनों का भारत पर और किसी सन्धि से अधिक असर पड़ता है । नाटो अथवा वारसा सन्धि पर तो फिर भी कुछ अलग रह कर और विश्व नीति पर अपने विचारों के आधार पर विचार कर सकते हैं । परन्तु जैसा कि सभी जानते हैं बगदाद सन्धि तथा सीटो का भारत पर प्रत्यक्ष रूप में असर पड़ता है । इसीलिए, हमने उनको बड़े संदेह की दृष्टि से देखा है ।

सैनिक सन्धियों के प्रश्न पर विचार करते हुए मैं चाहता हूं कि यह सभा यह न समझे कि इन सन्धियों के बारे में कह कर मैं विदेशों की भूतकालीन वर्तमान नीति की आलोचना कर रहा हूं । संभव है कि इस समय कोई चीज़ आवश्यक हो । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान घटनाओं में इन सन्धियों से शांति बनाये रखने में सहायता नहीं मिलेगी । सच यह है कि इनका उल्टा असर होगा और इनका हम पर बुरा असर हुआ भी है । हमने देखा कि बड़े बगदाद सन्धि का तथा एक सीमा तक सीटो का भी हमारे विरुद्ध काश्मीर के मामले में किस प्रकार प्रयोग किया जाय ।

संभवतया काश्मीर के मामले में इन सन्धियों का कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु यह इस मामले में आए तथा इन सन्धियों के सदस्यों ने इस मामले पर भी उसी प्रकार के मामलों के रूप में विचार किया जिनका उससे सम्बन्ध है । इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि यह सन्धियों का, जो किसी अन्य प्रयोजन से की गई प्रयोग दूसरी प्रकार से किया गया तथा कठिनाई उपस्थित की गई । इन्हीं सन्धियों के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तथा भारत की सीमा तक पहुंच गया । इस मामले से हमारा सम्बन्ध है । हम कहीं भी शीत युद्ध नहीं चाहते तथा विशेषतया भारत की सीमाओं पर । मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीत युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय समस्या और उलझ जायेगी । इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति संदेह, भय तथा ईर्ष्या से भरपूर है और शीत युद्ध से इस स्थिति को सुलझाया नहीं जा सकता । शीत युद्ध से यह सब बातें उठती हैं । हमें इनको दूर करने के लिये कोई और हल ढूंढना पड़ेगा ।

मेरा यह कहना नहीं है कि इस देश अथवा किसी दूसरे देश में हमें प्रतिरक्षात्मक उपायों को समाप्त कर देना चाहिए जिससे खतरे उत्पन्न हो जायें । कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता है । कोई भी

देश दूसरे को यह सुझाव नहीं दे सकता है कि वह खतरे उठाने को तैयार रहे तथा आशा करें कि सब कुछ ठीक रहेगा। परन्तु इन दोनों नीतियों के मध्य में भी कोई नीत्ति है जिससे हम खतरों के लिये तैयार रहते हुए भी शांत्ति स्थापित्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

आजकल का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न लीजिए। उद्जन बम तथा आण्विक शस्त्र के बारे में क्या किया जा रहा है? मेरा विचार है कि दूसरे दल के आक्रमण के डर से, वह देश जिनके पास यह हथियार है, उनको और बढ़ा रहेहैं जब कि सब जानते हैं कि यदि इनका एक बार प्रयोग किया गया तो यह उन दोनों के लिए ही नहीं वरन् विश्व के बड़े भाग के लिए विनाशकारक होंगे और इसीलिए सभी चाहते हैं कि इनका प्रयोग न हो। परन्तु फिर भी वह इस भय से कि कहीं दूसरें के पास इससे अधिक नहीं इनका प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार हम इस गन्दे वात्तावरण से गुजरते हैं और शीतयुद्ध से बाहर निकल नहीं सकते। यह जरूरी है कि कोई और तरीका अपनाया जाये जिसमें कोई खतरा न हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं। बड़े देश अथवा छोटे देश, दोनों को यह कहना होगा परन्तु मेरा निवेदन है कि सैनिक सन्धियों से संरक्षण न तो भूतकाल में देखा गया है तथा न ही भविष्य में कभी ही चाहे यह सन्धियां रूस से हों चाहे ब्रिटेन अथवा अमेरिका अथवा और किसी देश से, क्योंकि ये आण्विक शस्त्र दोनों दलों के पास है तथा वे इन न्यू हथियारों को बढ़ाते जा रहेहैं।

निरस्त्रीकरण का प्रश्न लीजिए। कुछ ऐसे आसार नजर आये थे कि संभवत्तया निरस्त्रीकरण के प्रश्न के कुछ परिणाम निकले। परन्तु ऐसे परिणाम नहीं निकले जिनकी हमें आशा थी। इसीलिए मैं इस बारे में अधिक आशावादी होना नहीं चाहता हूं। परन्तु मेरा विचार है कि यदि इस प्रयत्न को जारी रखा जाये तो बाद में इसका कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता क्योंकि भूतकाल में हमें बड़ा असंतोष रहा है तथा अधिक आशा करना उचित्त नहीं है।

इस समय निरस्त्रीकरण करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि निरस्त्रीकरण न होने से संभव है स्थित्ति काफ़ी बिगड़ जाये और फिर उस पर काबू पाना बहुत्त कठिन होगा। वर्तमान समय में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सत्य यह है कि जित्तना धन शस्त्रों पर लगाया जा रहा है उत्तने ही की देशों के विकास के लिए आवश्यकना है जिससे विश्व में सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाये।

कुछ दिन पूर्व विश्व के दो शक्तिशाली राष्ट्रों, रूस तथा अमेरिका ने कुछ प्रस्ताव रखे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ प्रस्ताव रखे जिनको आइजनहोवर सिद्धान्त कहा जाता है। रूस ने भी कुछ स्वतंत्र प्रस्ताव रखे। मेरा यह विचार नहीं है कि इस समय इन प्रस्तावों पर चर्चा करने अथवा इनकी आलोचना करूं। मुझे इससे कोई संदेह नहीं है कि दोनों शांति तथा सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इन प्रस्तावों से जो भय तथा संदेह के कारण रखे गये हैं, कोई विशेष प्रगत्ति नहीं हो सकती। यद्यपि यह प्रस्ताव बड़े अच्छे हैं फिर भी केवल कुछ ही व्यक्ति यह मानते हैं कि इन्हें सच्ची भावना से रखा गया है।

विश्व की स्थित्ति बड़ी गम्भीर है तथा आवश्यकत्ता इस बात्त की है कि दोनों देशों के नेता, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपत्ति तथा रूस के नेता, आपस में बातचीत्त करें। तभी यह संभव है कि कुछ लाभ हो सके। एक दो वर्ष पूर्व ये महान व्यक्ति एक दूसरे से मिले थे और उस समय विश्व का वातावरण काफी शांत्त हो गया था तभी सब शांत्ति की आशा करने लगे थे।

यहां पर किसी प्रस्ताव का पक्षपात्त करने का प्रयत्न नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपत्ति आईजनहावर के प्रस्ताव तथा विशेषतया जिनमें उन्होंने आर्थिक सहायता के बारे में कहा है बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि रूस के द्वारा दिए गए बहुत से प्रस्ताव लाभदायक हैं। परन्तु इनको किस प्रकार लागू किया जायेगा यह दूसरी बात्त है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मुझे एक बात का बड़ा ही दुख है कि एशिया के कुछ क्षेत्रों को रिक्त स्थान कहा गया है जिनको बाहर से कोई आकर ही भर सकता है। मेरा विचार है कि यह एक खतरनाक बात है। मेरा विचार है कि रिक्त स्थान उन्हीं को माना गया है जिनके पास पर्याप्त शस्त्रास्त्र नहीं हैं। यदि आप शस्त्रास्त्रों के आधार पर उन पर विचार करते हैं तो केवल दो देश रह जाते हैं जो उद्‌जन रखते हैं और वे हैं अमेरिका और रूस। आप कह सकते हैं कि इनके अतिरिक्त अन्य देश रिक्त-स्थान हैं क्योंकि उनके पास उद्‌जन बम नहीं है। यह बात बड़ी खतरनाक है। दो देश बहुत शक्तिशाली हैं। इसके अलावा और भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं। तो क्या आप छोटे तथा निर्बल देशों को रिक्त-स्थान कहेंगे? यह एक बड़ा भयानक विचार है, विशेषतया एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए। इसका तो यह अर्थ हुआ कि जहां से कोई साम्राज्य वादी शक्ति हट जाये वही रिक्त स्थान हो जायेगा। यदि ऐसा है तो यह रिक्त स्थान किस प्रकार भरा जा सकता है। यह केवल तभी भरा जा सकता है जब दूसरी शक्ति आगे बढ़े और अगर शक्ति दोबारा वहां आ जाती तो फिर वहां पुरानी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसको तो केवल उस देश का विकास करके ही भरा जाना चाहिए, और किसी प्रकार नहीं। दूसरी कठिनाई यह है कि जब देश में कोई झगड़ा होता है अर्थात् दूसरा देश उस देश में आना चाहता है अथवा अपना प्रभाव उस क्षेत्र पर रखना चाहता है तो दूसरा विरोधी दल कुछ सन्देह करने लगता है तथा ऐसी नीति चलाने का प्रयत्न करता है जिससे उसके प्रभाव वाला देश अथवा क्षेत्र वहां अथवा और कहीं बन जाये। इस प्रकार यदि विश्व के विभिन्न भागों पर, जो शक्तिशाली नहीं है, अपना प्रभाव जमाने में आप तनातनी बढ़ाते रहेंगे तो इस प्रकार की स्थिति का कभी अन्त नहीं होगा।

आप को याद होगा यह चीज दो या तीन वर्ष पहले हिन्दचीन में हुई थी जब वहां युद्ध चल रहा था। अन्त में हिन्दचीन के बारे में जेनेवा सम्मेलन में एक समझौता हो गया था— जो इस बात पर आधारित था कि बड़े देश हिन्दचीन में आक्रामक दृष्टिकोण से न घुसें और हिन्दचीन को स्वतंत्र छोड़ दें। इसका अभिप्राय यह था कि हिन्दचीन के राज्य स्वतंत्र तथा तटस्थ नीति का अनुसरण करें। उनके साथ सहानुभूति करने वाले उनके मित्र हो सकते हैं। और वास्तव में ऐसे मित्र उनके साथ हैं भी और इस बात को कोई भी रोकता नहीं। किन्तु सैनिक गुटबन्दियां नहीं होनी चाहियें। क्योंकि जब एक बड़ा देश ऐसी गुटबन्दी करता है तो दूसरा तुरन्त उसके विरुद्ध नयी गुटबन्दी बनाने की कोशिश करता है इस प्रकार सारा मामला बिगड़ जाता है। हिन्दचीन में इस समझौते से पूर्व लगभग ६ या ७ वर्ष तक लगातार युद्ध चलता रहा और तब कहीं जाकर यह युद्ध विराम हुआ—जो इस आधार पर था कि हमें सैनिक या किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि तब से अब तक हिन्दचीन में सभी संतोषजनक बात हुई हैं किन्तु मेरे विचार में यह सच है कि उस समझौते से न केवल वह युद्ध ही रुका है जिससे वहां बड़ी तबाही हुई बल्कि उस समझौते से हालत आहिस्ता आहिस्ता सुधरती रही है। अब भी बड़ी कठिनाइयां हैं। हमें वहां पर अपने कर्तव्य का पालन करना है—क्योंकि हमें अभी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का सभापतित्व और आगे भी करना है। यह काम बड़ा कठिन है और कभी कभी हमारी स्थिति द्विविधाजनक हो जाती है किन्तु हम इस कर्तव्य से भाग भी तो नहीं सकते। हम ने वहां पर पर्याप्त सहायता की है। ज्योंहि हम छोटी समस्या का हल कर लेते हैं तो दूसरी समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हालत वहां पर सुधर जायेगी। एकदम से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। जो बात हिन्दचीन पर लागू होती है वहीं अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होती है। तो क्यों हस्तक्षेप किया जाय ? यदि आप को भय है कि दूसरा पक्ष हस्तक्षेप करेगा तो स्वतः हस्तक्षेप न करें और इस प्रकार दूसरे

को भी हस्तक्षेप करने से रोकें। यदि दूसरा पक्ष हस्तक्षेप करता है तो उस मामले में कार्यवाही की जा सकती है। दूसरे शब्दों में इन पैक्टों में वृद्धि करन के बजाय--शान्ति तभी स्थापित की जा सकती है यदि यह पैक्ट कम से कम किये जायें। यदि इन सैनिक गुटबन्दियों से संतुलन होता है तो उन के न होने से भी संतुलन रहेगा और इससे किसी भी देश को कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि यह मामले साधारण हैं--निस्संदेह यह मामले बड़े उलझे हुए हैं और सभी देशों के लोग उनके बारे में सोचते हैं उन्हें हल करना चाहते हैं किन्तु फिर भी कठिनाई का अनुभव करते हैं।

सभा इस बात को जानती है कि मध्य पूर्व में हमारी थोड़ी सी फौज है--जो कि मिस्र के गाज़ा क्षेत्र में है। जब यह फौज वहां भेजी गई थी तब यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि यह फौज मिस्र सरकार की अनुमति से वहां भेजी गई है। हम कभी भी इस मामले में नहीं आना चाहते थे क्योंकि इलाका मिस्र का था। किसी भी तरह उनकी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहते। दूसरी शर्त थी यह कि इस फौज को आक्रमणकारी फौजों की जगह लेने के लिये नहीं भेजा जा रहा है। यह फौज वहां पर दूसरे क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिये वहां नहीं गई। यह फौज वहां सन्धि रेखा पर युद्ध-विराम की देखरेख तथा शान्ति बनाये रखने के लिये वहां गई है और उसी रूप में यह वहां पर काम कर रही है। पहले यह नहर के क्षेत्र में थी और बाद में इसे गाजा क्षेत्र में भेज दिया गया अब भी यह फौज यहां ही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है--लोगों ने उसकी सराहना भी की है। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि वहां के लोग उस फौज से बड़े खुश हैं।

पिछले वाद-विवाद के बाद से अब तक कुछ महत्वपूर्ण घटनायें घटी हैं जिनका कि हम बहुत स्वागत करते हैं। एक बात तो यह हुई है कि गोल्ड कोस्ट घाना राज्य के रूप में स्वतंत्र हो गया है। उस अवसर पर मैं स्वतः वहां जाना चाहता था किन्तु उसी समय हमारे यहां निर्वाचन थे जिसके कारण मैं वहां न जा सका--किन्तु हम ने वहां के नेताओं को शुभेच्छा के सन्देश भेजे हैं। घाना की स्वतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है--केवल इसीलिये नहीं कि यह कोई महत्व की बातें पैदा करेगी किन्तु इसलिये कि इससे एशिया तथा अफ्रीका का रुख दिखाई देता है। मुझे इस बात से भी बड़ी प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने जो उनके आन्तरिक मामले थे उनको आपस में ही सुलझा लिया है और यह बात भी उस राज्य की स्वतंत्रता के लिये एक बड़ा अच्छा शकुन है। सभा जानती है कि स्वतंत्र होने के बाद ही देश की कठिनाइयां सामने आती हैं। वास्तविक समस्यायें आजादी के वाद सामने आती हैं और निस्सन्देह घाना के समक्ष भी ये सब समस्यायें आएंगी। में विश्वास करता हूं कि समझदारी से वह उन समस्याओं का हल कर लेंगे।

कल मुझे मलाया के एक मंत्री से मिलने का अवसर मिला। मलाया भी स्वतंत्रता की मंजिल के निकट पहुंच रहा है और मैं समझता हूं कि वैसे अस्थायी तरीके पर मलाया को अगस्त के अन्त तक स्वतंत्रता दे दी जायेगी। ये सब बड़ी प्रसन्नता सूचक बातें हैं--इन से भविष्य के लिये आशायें बंधती हैं--और हम निराशाओं को भूल जाते हैं। इसके बाद नाइजेरिया की बारी है और वह भी स्वतंत्र होगा। एक ओर तो उपनिवेशों की हालत बदलती जा रही है और दूसरी ओर उपनिवेशों में स्वतंत्रता के आन्दोलनों को कुचला जा रहा है।

इस समय हमारे देश में पोलैण्ड के प्रधान मंत्री आये हुए हैं। मैं समझता हूं कि सदस्यों को उन से भेंट करने तथा उनकी बातें सुनने का अवसर मिलेगा। हमें उनका विशेष सम्मान इस कारण है कि पोलैण्ड एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रीयता की भावना अतिशय प्रबल है उन्होंने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बड़ी जदोजेहद की है और गत युद्ध में बहुत ही हानि सहन की है——और जिस तरीके से उन्होंने अपने बर्बाद हुए शहरों जैसे वार्सा आदि को दोबारा बनाया है वह बड़े अद्भुत हैं । इन सब बातों के अतिरिक्त अभी गत वर्ष पोलैण्ड में फिर लोकतंत्रात्मक आन्दोलन चला था जिसकी सराहना बहुत से लोगों ने की है । हम लोग यह महसूस करते हैं कि परिवर्तन आदि लाने का एक और ही तरीका होता है और जो कोई चीज मजबूरी की हालत में बाहर से लाई जाती है उससे स्थिति में और भी खराबी पैदा होती है । इसलिये पोलैण्ड पश्चिम में ऐसी ही कुछ मनोवृत्तियों का प्रतीक है जिनका महत्व बहुत ही ज्यादा है ।

इस समय दिल्ली में श्री यारिंग भी आये हुए हैं जो पिछले महीने सुरक्षा परिषद् के सभापति थे । वह सुरक्षा के कहने पर काश्मीर समस्या के बारे में बातचीत करने के लिये यहां आए हैं । मैं ने कल उन से बातचीत की । उनके जाने से पहले दोबारा फिर बातचीत होगी । काश्मीर के बारे में हमारी सामान्य स्थिति का वर्णन करना मैं इस समय आवश्यक नहीं समझता क्योंकि उस सम्बन्ध में हम पहले से ही नीति स्पष्ट कर चुके हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह बात स्पष्टतया कही गई है । उस अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय भी काश्मीर की ओर निर्देश किये गये हैं । बहुत से सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं और कई प्रश्न भी उठाये हैं । अध्यक्ष ने कहा है कि उन प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने के स्थान पर मैं इसी वाद-विवाद में उनका उत्तर दे दूं । कई प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं । किन्तु अब संक्षिप्त रूप से मैं उनका उत्तर दूंगा ।

एक समस्या है जिससे हमारे सभी लोग प्रभावित हैं——वह गोआ का प्रश्न है । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के अवसर पर एक माननीय सदस्य ने जिनको गोआ के प्रशासन के सम्बन्ध में व्यक्तिगत अनुभव है, गोआ की जेलों की हालत बताई । दुर्भाग्य से मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं था । मैंने उनके भाषण को बाद में पढ़ा । जो कुछ गोआ में हो रहा है उसे पढ़कर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । कुछ दिन हुए पुर्तगाली सरकार ने गोआ से हमारे कुछ भारतीयों को मुक्त किया है——उनमें से इस सभा के एक सदस्य भी हैं जो उन हालात में वहां की जेल में रहे हैं । वहां से कुछ भारतीय राष्ट्रजनों की वहां की जेलों से मुक्ति से ही हमें पूरा संतोष नहीं होता । मैं यह नहीं चाहता कि कोई यह सोचे कि हम गोआ के बारे में अपनी मांगों को कम कर रहे हैं या उस प्रश्न को स्थगित कर रहे हैं । गोआ का प्रश्न हमारे लिय अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । सभा हमारी नीति की आलोचना कर सकती है या उसे बदलने का विचार कर सकती है । वह अलग बात है और हम उस बात पर चर्चा कर सकते हैं । किन्तु हम सब के लिये यह मामला महत्वपूर्ण है । मैं उन माननीय सदस्यों का जो जेल से वापस आ गए हैं स्वागत करता हूं——आशा करता हूं कि और लोग भी वापस आ जायेंगे——हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हजारों गोआवासी वहां कैद हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है । मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज भी वहां तक पहुंचती है——शायद नहीं पहुंचती । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम सदैव उनका ध्यान रखते हैं——किन्तु दुर्भाग्य से हालात ऐसे हैं कि इस समस्या का हल बहुत जल्दी नहीं हो सकता । यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से बंध जाता है और ऐसी उलझी हुई समस्या को इस प्रकार से हल नहीं किया जा सकता । इस समस्या को एकांकी रूप नहीं दिया जा सकता——इसी कारण हमने विदेशी मामलों तथा आन्तरिक मामलों में व्यापक नीति अपनाने का यत्न किया है । मैं नहीं समझता कि उसी नीति को छोड़े बिना हम इससे अलग किस प्रकार हो सकते हैं । साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमें अपनी नीति

के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिये । मैं बुनियादी सिद्धान्तों की बात नहीं कह रहा-- वह तो ठीक हैं और उनका अनुसरण किया जाना चाहिये । किन्तु गोआ के बारे में हमें अपनी नीति पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये । वास्तव में हम ऐसा ही कर रहे हैं । इसी बीच में निर्वाचन आ गये । मुझे आशा है कि अगले कुछ सप्ताह में हम उन सब लोगों से इस बात पर सलाह करेंगे जो इस सम्बन्ध में कुछ जानते हैं और अन्य लोगों से भी सलाह करेंगे । मुझे आशा है कि हम इस मामले में विरोधी दलों के सदस्यों से भी सलाह करेंगे और फिर कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ।

काश्मीर सम्बन्धी दो एक बातों के बारे में भी मैं कुछ कहूंगा ।

श्री जारिंग के आने के बारे में प्रश्न थे । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है । वह अभी यहां हैं । सुरक्षा परिषद के जिस संकल्प के अनुसरण में वह यहां आए हैं-- वह साधारणसा संकल्प है जो कि सभा में पर्याप्त वाद-विवाद के बाद पारित हुआ है । इसके बारे में अधिक बताने की जरूरत नहीं है--इसमें केवल पुराने संकल्प का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि वह वहां जाकर भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मिलें और उन से इस बात पर बातचीत करके १५ अप्रैल तक अपना प्रतिवेदन दें । वह पाकिस्तान जा आये हैं अब वह यहां हैं । इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं ।

इस के बाद पाकिस्तान में आणविक शस्त्रों के बारे में कई प्रश्न थे । इस सम्बन्ध में मेरे साथी श्री कृष्ण मेनन ने सुरक्षा में तथा मैं ने यहां कई बार कहा है । हम दोनों की बातें किसी गोपनीय जानकारी पर आधारित नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सेनापति के वक्तव्यों पर आधारित हैं । हम ने यह बात नहीं कही और न ही श्री कृष्ण मेनन ने यह बात कभी कही हम ने केवल वही बात कही है जो कि पाकिस्तान के सेनापति ने कही है--उन्होंने कहा था कि गत दिसम्बर सैनिक प्रदर्शन में आणविक शस्त्रों के अभ्यास का कार्यक्रम था और प्रदर्शन उसी दृष्टिकोण से हुआ हैं । यह आणविक शस्त्रों के प्रयोग की तैयारी है । मैं यह नहीं कहता कि उनके पास आणविक शस्त्र हैं--मुझे कोई पता नहीं--और अमेरिका सरकार ने भी इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने किसी देश को भी आणविक हथियार नहीं दिये । हम उस बात को मानते हैं किन्तु सच्ची बात यह है कि उन हथियारों का प्रयोग हमारे लिये एक गंभीर बात है--विशेषकर इस कारण से यह बात और भी गंभीर होती है कि यह सहायता अमेरिका से आये--इससे स्थिति में बहुत अन्तर हो गया है । मेरा यह विश्वास है कि यदि विदेशी हस्तक्षेप न होता तो भारत तथा पाकिस्तान की समस्यायें सुलझने में कोई कठिनाई न होती । मैं विदेशों की आलोचना भी नहीं कर रहा--क्योंकि प्रायः उन्होंने सहानुभूति दिखाई है--किन्तु फिर भी वास्तविकता यही है कि इस प्रकार के हस्तक्षेप के कारण दो पड़ौसी देशों में आपस में समस्यायें सुलझाने में कठिनाई आई है ।

इसके बाद यह प्रश्न था कि क्या पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर का इलाका छीना है ? जी हां । उनके संविधान के अनुसार भी समस्त प्रशासित क्षेत्र पाकिस्तान का भाग है-- और यह क्षेत्र भी उन्हीं द्वारा प्रशासित है--इस प्रकार बहुत समय से ही उन्होंने इस क्षेत्र को पाकिस्तान का भाग समझा है । यह आश्चर्य की बात है कि इतनी चर्चा होने पर भी जम्मू तथा काश्मीर के आधे भाग के बारे में कोई निर्देश नहीं है । इस लिये छीनने का कोई प्रश्न नहीं है । यह शब्द ही गलत है । सभा को विदित है कि १९४७ में यह क्षेत्र भारत से मिला--उस समय हालात भिन्न हो सकते हैं--किन्तु साथ मिलने का तरीका उसी प्रकार से संवैधानिक एवं कानून था जो कि यहां की अन्य सैकड़ों रियासतों ने अपनाया था । हालात भिन्न अवश्य थे किन्तु रियासत तो कानूनी तौर पर साथ मिली थी । उसके बाद उसमें कोई कमी या ज्यादती नहीं हुई ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गिलगित के बारे में भी प्रश्न थे—और ब्रिगेडियर घनसार सिंह की बताई हुई एक कहानी भी थी । हमें यह बात मालूम थी । विभाजन से पहले वहां के महाराज ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को वहां भेजा था । उन्होंने गिलगित उनके हवाले कर दिया था और इस ब्रिगेडियर को वहां कार्य भार सम्हालने के लिये भेजा था । जब वह गया तब वहां कई असाधारण घटनायें हुई । उसके वहां पहुंचने के बाद उसे ब्रिटिश पदाधिकारियों ने कैद कर लिया और उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि गिलगित पाकिस्तान से मिल गया है । मैं इस बात के गुणावगुण में नहीं जाता किन्तु यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है। ब्रिगेडियर घनसार सिंह को वहां पर्याप्त समय तक के लिये कैद रखा । जब वह हम से मिला तब यह बात हमें उसने बताई—अब सब को बता दिया गया है ।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हम से पूछा गया है कि पाकिस्तान के कब्जे में काश्मीर का जो भाग है उसके बारे में भारत सरकार क्या चाहती है । अब यह बात स्पष्ट ही है कि वैधानिक रूप से तथा प्रत्येक कानूनी तरीके से सारा राज्य ही भारत से मिला था । कोई एक हिस्सा तो केवल मिला नहीं था । इसी कारण समस्त जम्म तथा काश्मीर राज्य को भारत संघ का भाग कानूती तौर पर होना चाहिये ।

इन नौ सालों में समझौता करने की दष्टि से हम ने विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया है किन्तु उन से कई परिणाम नहीं निकला है । कई बार हम ने जो तजवीजें रखीं उन्हें वाक्बद्धता कहा जा रहा है । खैर कानूनी तौर पर वह क्षेत्र भारत से मिल चुका है ।

किन्तु यह बात भी सच है कि हम ने कई बार सुरक्षा परिषद् में तथा उसके बाहर यह कह है कि हम काश्मीर समस्या को सुलझान के लिए लड़ाई नहीं करेंगे । हां यदि हम पर आक्रमण किया गया तो हम बचाव जरूर करेंगे—और यदि काश्मीर पर आक्रमण किया गया तो उसे हम अपने पर आक्रमण समझेंगे । हम ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि यद्यपि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर का क्षेत्र वैधानिक रूप में हमारा है—किन्तु हम उसे दोबारा लेने के लिये युद्ध नहीं करेंगे । हम ने यह आश्वासन दे दिया है और इस पर हम चलेंगे ।

श्री लंका तथा चीन के प्रधान मंत्रियों की ओर से जो सन्देश मुझे मिले उनके बारे में भी प्रश्न थे । चीन के प्रधान मंत्री श्री लंका गये थे और उन्होंने वहां संयुक्त वक्तव्य दिया था । उसी वक्तव्य में काश्मीर के बारे में भी निर्देश था कि उन्हें आशा है कि वह समस्या दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों से ही हल हो जायेगी और दूसरे देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे । हमारा मित्र देशों की यही इच्छा है । इससे और अधिक परिणाम निकला नहीं ।

मैं ने अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । एक और बात के बारे में भी जो शायद माननीय सदस्यों के हृदयों में है—मैं कुछ कहना चाहता हूं । उस सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी भेजे गये हैं । वह प्रश्न है भारत का कामन्वैल्थ में रहना । मैं ने इस प्रश्न पर पहले भी कई बार बहुत कुछ कहा है । यह प्रश्न महत्वपूर्ण है । मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी सदस्य अब इस बात पर ज्यादा सोचते हैं—मुझे लिखकर तथा वैसे भी पूछते रहते हैं । मध्य पूर्व की समस्याओं पर कुछ कामन्वैल्थ देशों के आचरण के बारे में भी पूछा जाता है और इसी प्रकार से काश्मीर के बारे में भी—कुछ देश पक्ष लेते रहे हैं—और ऐसे देश का पक्ष लेते रहे हैं जिसे हम आक्रामक समझते थे—किन्तु इन सब बातों के बावजूद भी हम कामन्वैल्थ में रहना पसन्द करते हैं । हम ने इस प्रश्न पर उन से बातचीत की है और मैं ने स्वतः भी इस बात पर विचार किया है—क्योंकि

यह मामला ऐसा नहीं है कि इसे जिस प्रकार मैं समझूं सुलझा लूं। हम किसी मामले को उस तरीके से नहीं सुलझा सकते। इस मामले को विचार विमर्श तथा जनता की राय से ही सुलझाया जा सकता है। कई बार लोगों की भावनाओं का अस्थायी रूप से विरोध भी करना पड़ता है क्योंकि लोग आवेश में आ जाते हैं। किन्तु अन्ततोगत्वा जनता की राय का विरोध नहीं किया जा सकता। इसलिये यह मामला गंभीर है।

मैं ने पहली बार यह महसूस किया है कि इस मामले पर और विचार किया जाना चाहिये। किन्तु इस मामले में हम किसी नाराजगी या गुस्से से कार्यवाही नहीं करना चाहते। जो घटनायें हुई हैं जिनसे हमें तकलीफ हुई है उन बातों के बावजूद भी हमारा कामन्वैल्थ में रहना ही ठीक है—क्योंकि कई कारण हैं। एक तो यह है कि उस संस्था में रहने से हमारी नीतियों तथा कामों में कोई अन्तर नहीं पड़ता—इसलिये कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हम ने अपनी नीति बदली है—हां सलाह से तो दूसरी बात है। हम अन्य देशों से सलाह करते हैं उनसे सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु निर्णय हमारा अपना होता है और कामन्वैल्थ में रहने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

दूसरे इस समय संसार में बहुत भेदभाव है इसलिये किसी एक संस्था को रखना ही अच्छा है—हमें उसमें कोई हानि नहीं है। इसे तोड़ना भी गलत बात है। हम संसार में जो शान्तिपूर्ण संस्थायें विकसित करना चाहते हैं—यह काम उसमें हमारी सहायता नहीं करता।

इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं ने यही सोचा कि इन सब सदमों के बाद भी हमें इस संस्था को तोड़ना अच्छा नहीं होगा।

किन्तु जो निर्णय हम करें वह स्थायी ही नहीं होगा। सब प्रकार की बातें होती हैं और ऐसे मामलों को समय समय पर देखना पड़ता है। कामन्वैल्थ स्वतः परिवर्तित हो रहा है। घाना उस संस्था का सदस्य है—शायद मलाया भी नया सदस्य बने। उसके नाइजेरिया भी सदस्य बने। इस संगठन की स्थिति बदलती जा रही है और वह ठीक दिशा में ही बदल रही है। इसलिये इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए तथा देश की प्रतिक्रिया पर ध्यान रखते हुए मैं सभा से सविनय निवेदन करता हूं कि इस समय कामन्वैल्थ में रहना ही वांछनीय है।

इस के बाद मेरे साथी श्री कृष्ण मेनन अन्य बातों के सम्बन्ध में बतायेंगे। जैसा कि सभा को विदित है वह न केवल सुरक्षा परिषद् में उठने वाले सभी मामलों से सम्बद्ध रहे हैं अपितु उन्होंने मिस्र सरकार से भी बातचीत की है।

† **अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए। प्रत्येक माननीय सदस्य को १५ मिनट मिलेंगे। वाद-विवाद छः बजे समाप्त हो जायेगा। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे?

† **बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : लगभग ४० मिनट।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम–रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि कल प्रश्न-काल न रखा जाये और आज वाद-विवाद छः बजे तक चले।

---

† मूल अंग्रेजी में